

# पैथर की सूचना ने वन विभाग व पुलिस को दौड़ाया

## दो घंटे चले सर्च अभियान में जंगली बिल्ला मिला

सादुलपुर, (निसं)। तहसील मुख्यालय के निकटवर्ती गांव लम्बोर बड़ी की रोही में एक खेत में शनिवार सुबह पैथर होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने करीब दो घंटे तक पैथर को ढूँढने का सर्च अभियान चलाया, मगर मौके पर पैथर की बजाय जंगली बिल्ला मिला। हालांकि पूर्व में भी सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांवों, साहवा, बांय सहित महलाना, तारानगर के अभयसिंहपुर आदि क्षेत्र में पैथर के आने को लेकर सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन अभयसिंहपुर के बाद में ना तो पैथर के बारे कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन शनिवार दोहर करीब 12 बजे गांव लम्बोर निवासी सुरजित सांगवान-अपने खेत गया हुआ था। तभी पास से एक जंगली बिल्ला भागकर मिट्टी की गुफा में घूंस गया। जो उसे पैथर जैसा दिखाई दिया। जिसके बाद मिली सूचना पर ग्रामीणों,



सादुलपुर में ग्रामीणों के साथ वन विभाग व पुलिस के चलाए सर्च अभियान में जंगली बिल्ला मिट्टी की गुफा से निकलकर भागा।

वन विभाग और पुलिस की टीम ने करीब दो घंटे तक पैथर को ढूँढने का सर्च अभियान चलाया। वहीं पैथर की सूचना पर वन विभाग के रैंजर रणवीर सिंह, मांगिराम सांगवान, सुरेश गोठवाल, नीलम व पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। जिसमें पहले काफी संख्या में गाड़ी, ट्रैक्टर व बाइक लेकर

ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने दो घण्टे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर कुछ हाथ नहीं लगा।

जिसके बाद-जिस व्यक्ति ने उक्त संदिग्ध जानवर को देखा, उसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पैथर, लॉयन व हिरण के चित्र दिखाए, मगर उसने चित्र देखकर ऐसे जानवर देखे

जाने से इन्कार किया। इसके बाद उसे गीदड़ का फोटो दिखाया गया, तो उसने कहा कि इससे मिलता-जुलता जानवर उन्होंने खेत में देखा है एवं उसे मिट्टी की गुफा में जाते देखा है। जिस पर गांव के धूपसिंह फोगडिया ने दिखाई हिम्मत दिखाई। हालांकि पैथर की बात सुनकर ग्रामीण भयभीत हो गए और मिट्टी की गुफा को चारों तरफ से घेर लिया व आगे से मिट्टी लगाकर बंद कर दिया। जिसके बाद गांव के धूपसिंह फोगडिया ने कहा खेतों में जंगली जानवर गीदड़ व बिलाव घूमते रहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैथर नहीं है। कुछ ही देर बाद धूपसिंह फोगडिया ने हिम्मत दिखाते हुए कस्सी से गुफा को खोदकर कुछ ही देर में पूंछ पकड़कर बाहर निकाल दिया, जो बताया जा रहा पैथर नहीं था, बल्कि जंगली बिल्ला था। तथा जंगली बिल्ले की तस्वीर होने पर जंगली बिल्ले देखने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

## पत्थर से भरे 3 ट्रेक्टर, पिकअप व ट्रक जब्त

राजसमंद, (निसं)। लोकसभा चुनाव 2024 के मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशानुसार एएसपी महेन्द्र कुमार पारीक व डीएसपी विवेकसिंह के सुपरविजन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कांकारोली थानाधिकारी हनवन्तसिंह सोडा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

कांकारोली थानाधिकारी हनवन्तसिंह सोडा ने बताया कि गठित टीमों ने कार्रवाई करते हुए मोही फाटक पर एक ट्रैक्टर को रूकवाकर चैक किया गया जिसमें बिना रोयल्टी के अवैध रूप से मार्बल परिवहन पाया गया। इसके साथ ही रोयल्टी नै वागपुरा में एक बिना नम्बरी ट्रैक्टर को रूकवाकर चैक किया जिसमें अवैध मिट्टी भरी हुई पाई गई। इसी टीम ने वांसोल रोड पर एक ट्रैक्टर को रूकवाकर चैक किया जिसमें अवैध पत्थर भरे गए थे। वहीं कांकारोली थाना पुलिस की टीम ने मादडा रोड से निकल रहे एक ट्रक को रूकवा कर उसकी जांच की तो उसमें अवैध कोयलो की भरी हुई जोरिया मिली। इसके साथ ही भीलबस्ती भागा रोड से गुजरती एक पिकअप को रूकवाकर चैक किया जिसमें अवैध लकड़ीया भरी हुई पाई गई। इन सभी वाहनों में भरे पत्थर की रोयल्टी नहीं होने के कारण खनन विभाग तथा लकड़ी व कोयला की सूचना वन विभाग को दी।

# गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पहुंची एन.आई.ए. की टीम

## एक महीने में दूसरी बार पूछताछ करने पहुंची टीम



बीकानेर में एन.आई.ए. की टीम ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के माता-पिता से पूछताछ की।

बीकानेर, (कासं)। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर एनआईए का शिकंसा कसता जा रहा है। एनआईए की टीम ने एक महीने में दूसरी बार लूणकरनसर के कपूरसर स्थित रोहित गोदारा के घर पहुंची है, जहां उसके मां-बाप से पूछताछ की जा रही है।

माना जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश जाने के मामले में सखी के साथ छानबीन हो रही है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम शनिवार को

बीकानेर पहुंची है। ये टीम लूणकरनसर के कपूरसर में एक बीएचएम स्थित रोहित के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गई। रोहित के घर पर उस समय उसके मां-बाप के अलावा कुछ और रिश्तेदार थे। सभी को वहीं रोककर पूछताछ की गई। रोहित के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला एनआईए ने दर्ज किया था।

इस फर्जी पासपोर्ट के मामले में कुछ पुख्ता जानकारी पुलिस और एनआईए के हाथ लगी है जिसके बाद

एनआईए की टीम ने रोहित गोदारा के परिजनों को नोटिस देते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में उसका कोई फोन या उसके बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी हो तो इसकी सूचना पहले थाने में देनी होगी। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर हत्या, लूट, फिरोती जैसे कई मामले में बीकानेर में दर्ज है, वहीं राज्य के कई अन्य थानों में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है। पुलिस रोहित गोदारा की सरगमों से उसकी तलाश कर रही है।

# तीन किलो 200 ग्राम गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। सल्लोपाट थाना पुलिस ने मोनाड्रंगर एनएच 56 पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात ले जाया जा रहा 3 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध रूप से लकड़ी परिवहन कर गुजरात ले जाते एक ट्रक को जब्त किया है।

थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि एएसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी राजेश भारद्वाज एवं वृत्ताधिकारी विनय चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब की रोकथाम की कार्यवाही के तहत पुलिस को यह सफलता मिली। उन्होंने बताया कि जाते के साथ वे मोटाड्रंगर नेशनल हाईवे 56 पर वाहन की जांच के दौरान भीलकुआ-बांसवाड़ा मार्ग की तरफ से आयी एक कार को रूकवाया तो चालक चबराया। उसने अपना नाम सनी पुत्र शांतिलाल अड निवासी खाटवाड़ा थाना झालोद गुजरात होना बताया। जब उसकी गाड़ी की डिक्की में सीमेंट के कट्टे में भरी सामग्री के बारे में पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया।

जांच करने पर उसमें 3 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा पाया गया। जिस पर कार एवं गांजे को जब्त कर



सल्लोपाट थाना पुलिस ने तस्करी कर गुजरात ले जाये जा रहे गांजे एवं कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

सनी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान का जिम्मा आनंदपुरी थानाधिकारी कैलाशचंद्र को सौंपा गया। इसी तरह मोनाड्रंगर चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक की जांच की गयी तो अंदर नील गिरी की लकड़ियां पायी गयीं। चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि आसपुर से भरकर गुजरात के सांवली ले जा रहा

है। जब कागजात मांगे गये तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर ट्रक एवं लकड़ियां जब्त की गयीं। इसी तरह नाकाबंदी के दौरान प्लास्टिक के कट्टे में 2 पेट्टी अंग्रेजी शराब ले जाते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम संजय पुत्र कल्पेश गरासिया निवासी खूंटगलिया होना बताया।

## अवैध खनन करने के आरोप में ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

छबड़ा (निसं)। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन करने के आरोप में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी तरुण रावत ने बताया कि वनखण्ड दिलोद के वन क्षेत्र में अवैध खनन कर पत्थर (किंगरी) परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक मुकेश चक्रधारी पुत्र बंशीलाल निवासी कवाई (सालपुरा) को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में वनपाल मोहम्मद अख्ताब, राकेश चौधरी, सोमेश गुर्जर, अरविंद चौधरी, शिवराज, जमनालाल लोधा आदि मौजूद रहे।

# 6 साल पुराने मामले में दो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बूंदी (निसं)। कोटा-बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के भाई और कोटा डेयरी के पूर्व अध्यक्ष रहे श्रीलाल गुंजल और दो अन्य को छह साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने तलब किया है। तीनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। प्रकरण में तालेडा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तीनों को आगामी 8 अप्रैल को अदालत में तलब किया गया है।

मामले में कोटा रेंज कार्यालय की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध और सतकता) उमा शर्मा ने जांच की थी। जांच में कोटा डेयरी के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीलाल गुंजल, अरनेटा निवासी

प्रभुलाल गोचर और लेसरदा निवासी गोपाल गोचर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 और 120 बी के तहत अपराध प्रमाणित माना। तीनों के खिलाफ सैनिकी धमका, संग्रहकेंद्र छोड़ने के अत्यधिक दबाव बनाना, केन्द्र से आने वाले दूध की गुणवत्ता कम बनाना, उस पर जर्माना लगाने जैसे तथ्य प्रमाणित पाए गए थे। जांच अधिकारी ने माना कि तीनों ने सैनी को सामाजिक, प्रशासनिक और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे अपनी आजीविका खोने का संकट उत्पन्न हो गया और उसने परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठा लिया।

मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने तालेडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ गत 25 अक्टूबर को धारा 306 और 120 बी के तहत आरोप पत्र पेश किए थे। अदालत ने तीनों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर तलब किया था, लेकिन पिछली कई पेशियों पर उपस्थित नहीं होने पर तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इस प्रकरण में आगामी सुनवाई 8 अप्रैल को है। उधर इस बारे में श्रीलाल गुंजल ने कहा है कि मेरा इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे है और गिरफ्तारी वारंट की मुझे जानकारी नहीं है।

## किसान की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। खेत में दवा छिड़काव के दौरान दवाई शरीर में चले जाने से किसान की हालत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज किसान की मौत हो गई। मामला बड़लियास थाना क्षेत्र का है यहां आंबा में रहने वाला किसान रतनलाल पिता भक्त देवा (45) शुक्रवार को अपने खेत पर दवा का छिड़काव कर रहा था, इस दौरान दवाई शरीर में जाने से रतनलाल की हालत बिगड़ गई और वह खेत पर अचेत हो गया। पास में काम कर रहे अन्य किसानों व परिजनों ने उसे खेत पर अचेत अवस्था में देखा तो तुरंत उसे भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां रतन ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल को मॉर्च्यूरी में भिजवाया।

# डंपर चोरी के मामले में शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार

बूंदी (निसं)। बूंदी की केशोरायपाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी हनुमान प्रसाद ने बताया कि चोरी व सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के निर्देशन में केशोरायपाटन थाना अधिकारी बाबूलाल के नेतृत्व में टीम गठित ने फरार आरोपी केहरी उर्फ केसराम उर्फ चुटिया उर्फ शेरप गुनरीलाल उम्र 26 साल निवासी बसन्तपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

थानाधिकारी बाबूलाल ने बताया कि 20 अगस्त 2023 को फरियादी

श्याम बिहारी पुत्र अणदोलाल निवासी लेसरदा थाना के पाटन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे नाम से एक डम्पर टाटा सिग्ना है जिसे मे रोजाना रिलायंस पेट्रोल पंप के पास खड़ा करता था 19 अगस्त की रात्रि को रिलायंस पेट्रोल पंप पर खड़ा किया था ड्राइवर पम्प मारु भाट सामने पंचर की दुकान पर सो रहा था जब ड्राइवर पम्प मारु भाट सुबह जगा तो उसने डम्पर गायब मिला। डम्पर को रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर व आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाया। पुलिस पूर्व में ही आरोपी के दो

साथी अलाउद्दीन व साहिल को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार को जब्त कर चुकी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी थाना सरमथुरा के प्रकरण में गिरफ्तार होकर जिला कारागार धौलपुर में बंद है। सूचना पर नियमानुसार न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी से और भी वारदातें खुलने की सम्भावना है। थानाधिकारी ने बताया कि वाहन चोरी करने वाला मुख्य आरोपी अंतरराज्यीय वाहन चोर केहरी उर्फ केसराम उर्फ चुटिया उर्फ शेरप गुनरीलाल उम्र 26 साल निवासी बसन्तपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर काफी शातिर कुख्यात है।

# वाया भरतपुर, मदार-हावड़ा के बीच 2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलेगी

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से भरतपुर होकर गाड़ी सं 09609/09610 मदार-हावड़ा-मदार के मध्य स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। जिससे यात्रियों को सीजन में अग्रिम आरक्षण का लाभ एवं भीड़ से राहत मिल सके। इस स्पेशल गाड़ी में 04 थर्ड एसी, 12 स्लीपर, 02 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 02 गाई डिब्बों सहित कुल 20 डिब्बे होंगे। गाड़ी संख्या 09609, मदार-हावड़ा स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक रूप में दिनांक 14 अप्रैल एवं 21 अप्रैल (02 ट्रिप) मदार से रविवार को रवाना होकर सोमवार को शाम 18.00 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09610, हावड़ा-मदार स्पेशल ट्रेन दिनांक 16 अप्रैल एवं 23 अप्रैल (02 ट्रिप)

हावड़ा से मंगलवार को 15.00 बजे रवाना होकर बुधवार को रात 21.55 बजे मदार पहुंचेगी। गाड़ी के हालत - यह गाड़ी दोनों दिशाओं में मदार-हावड़ा के मध्य किशनगढ़, जयपुर, दोसा, बांदीकुई, आनसोन, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर व बर्द्धमान स्टेशनों पर रकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/जनसम्पर्क अधिकारी-कोटा रोहित मालवीय ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस, रेल मदद 139 एवं ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें।

## चोरों ने चिकित्सालय को निशाना बनाया

बूंदी (निसं)। जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। चोरों के निशाने पर सरकारी कार्यालय और चिकित्सालय आ रहे हैं। शनिवार को बाजड उप स्वास्थ्य केंद्र चोरों के निशाने पर आ गया, जहां चोर उप स्वास्थ्य केंद्र के ताले तोड़ कर सामान चुरा कर ले गए। एएनएम नफीसा बानो जब शनिवार सुबह उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची और ताला खोलने लगी तो गेट पर ताला लगा हुआ नहीं मिला। गेट खोला और कमरे में अंदर गई तो वहां पर रखी हुई दो विजिटर कुर्सी और 6 प्लास्टिक कुर्सी, कूलर और बॉटल के चोरि हो चुका था। नफीसा ने चोरी की सूचना सरपंच नाथू लाल बैरवा और पडीस के लोगों को दी। सूचना पर ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र पर इकट्ठे हो गए सरपंच नाथूलाल बैरवा ने तालेडा थाने पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने पर पुलिस उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची और मौका जायजा लिया। एएनएम नफीसा बानो और सीएचओ रामावतार मीना ने चोरी की रिपोर्ट थाने में सौंपी।

# हाईकोर्ट ने आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियों से वंचित नहीं करने के अंतरिम आदेश दिए

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीएमएचओ जैसलमेर डॉ. बाबूलाल बुनकर को सीएमएचओ पद की आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियों से वंचित नहीं करने के अंतरिम आदेश पारित किए हैं। इस संबंध में चिकित्सा विभाग के निदेश (जन स्वास्थ्य) डॉ रवि प्रकाश माथुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 01 मई नियत की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पेश की।

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्थानान्तरण आदेश 22 फरवरी 2024 से चिकित्सक की सीनियोरिटी/ वरीयता को ध्यान में रखें बगैर, थोक में राज्य के कुल 171 चिकित्सक को एक ही आदेश से स्थानान्तरण किये गए। जूनियर

चिकित्सकों को जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत नियमानुसार पदोन्नत वरिष्ठ चिकित्सकों के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। जिस पर वर्ष 1991 के नियुक्त चिकित्सक और वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर डॉ. बाबूलाल बुनकर ने हाइकोर्ट, जोधपुर में पहली रिट याचिका पेश कर उससे 20 साल जूनियर वर्ष 2011 के नियुक्त चिकित्सक को सीएमएचओ, जैसलमेर पद पर नियुक्त कर देने के आदेश को चुनौती दी। जो रिट याचिका आदेश 01 मार्च से स्वीकार कर याची को वर्तमान पद सीएमएचओ, जैसलमेर के पद पर पुनः जॉइन करवाने के आदेश दिए। उक्त न्यायालय आदेश की पालना में आदेश जारी कर याची को सीएमएचओ, जैसलमेर के कार्यालयध्यक्ष पद पर 14 मार्च को

पदस्थापित कर दिया गया। लेकिन उक्त आदेश के आठ दिन बाद ही चिकित्सा विभाग के निदेशक (जन स्वास्थ्य) ने 22 मार्च 2024 के आदेश से पूर्व स्थानान्तरण आदेशों से लगाये गए चिकित्सकों को ही कार्यालयध्यक्ष बनाये जाने के निर्देश दिए। जिसे याची ने पुनः द्वितीय रिट याचिका अधिवक्ता यशपाल खिलेरी के मार्फत पेश कर चुनौती दी।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि याची नियमानुसार प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर वर्ष 2017 में पदोन्नत हो चुका है जबकि वर्ष 2011 में नियुक्त जूनियर चिकित्सक अधीकारी पद पर वर्ष 2017 में पदोन्नत हो चुका है जबकि वर्ष 2011 में नियुक्त जूनियर चिकित्सा अधीकारी/ एएसएमओ पद पर ही नियुक्त होने से वह सीएमएचओ के पद पर नियुक्त होने योग्य तक नहीं है। बावजूद इसके,

चिकित्सा विभाग ने पदोन्नित के विभागीय पदानुक्रम को दरकिनार कर मनमाफिक आदेश जारी किए हैं तथा जूनियर चिकित्सक डॉ पालीवाल के पास एक वर्ष से भी कम का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर अनुभव होने के बावजूद याची के पद पर सीएमएचओ पद पदोन्नित देने का प्रयास किया गया है जो विधि विरुद्ध है।

रिट याचिका की प्रथम सुनवाई पर कैविएट में आई राज्य सरकार एवं जूनियर चिकित्सक को सुनने के पश्चात हाइकोर्ट न्यायाधीश अरुण मोंगा कि एकलपटी ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता व जूनियर चिकित्सक की पॉस्टिंग पर यथास्थिति रखने तथा याचिकाकर्ता को सीएमएचओ पद की आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियों से वंचित नहीं करने का

अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार सहित चिकित्सा विभाग के निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ रवि प्रकाश माथुर के हकदार होते हैं तथा छह वर्ष तक कार्यरत चिकित्सक ही वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नित के हकदार होते हैं, जो जिले में अवस्थित खंड के इं-चार्ज खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर नियुक्त चिकित्सक अधिकारी के पद पर नियमित कार्यरत चिकित्सक ही सीएमएचओ के पद पर पदोन्नित और पदस्थापना के हकदार होते हैं।